



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228125
CG-DL-E-06072021-228125

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2492]
No. 2492]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/ आषाढ़ 14, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

का.आ. 2690(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा-11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1289 (अ), दिनांक 20 मई 2009 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31डी (सिलिगुड़ी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 से आरंभ होते हुए साल्सालाबड़ी बाया फुलबाड़ी, मैनागुड़ी, धूपगुड़ी फालकट और सोनपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 31 सी में शामिल होते हुए) का संपूर्ण खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31डी के घोषपुकुर से धूपगुड़ी खण्ड के डिज़ाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 83.785 के सड़क खंड की निवल लंबाई 79.545 कि.मी. हेतु और 42.40 कि.मी (जिनकी लंबाई 4.240 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो पर शुल्क उद्घहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम ^०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृष्ट एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए सारणी निवल सड़क लंबाई पर देय और भुगतान होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब-दूरी (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क देय है	दर जिस पर शुल्क देय है
पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुडी जिले में पाणिकौडी गांव के निकट एनएच-31डी के डिजाइन किमी 33.400 पर	49.441 [10 करोड़ से अधिक की लागत के बाइपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 100%
पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुडी जिले में हस्लुदंगा गांव के निकट एनएच-31डी के डिजाइन किमी 77.830 पर	30.104 [10 करोड़ से अधिक की लागत के बाइपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर, निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान होगा:

सारणी-3			
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब-दूरी (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुडी जिले में पाणिकौडी गांव के निकट एनएच-31डी के डिजाइन किमी 33.400 पर	2.079 [^]	20.79	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 100%

पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में हुसुलदंगा गांव के निकट एनएच-31डी के डिजाइन किमी 77.830 पर	2.161 ^{^^}	21.61	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 100%
---	---------------------	-------	---

[^] पाणिक्कौड़ी गांव के निकट एनएच-31डी के 33.400 किमी पर शुल्क प्लाजा के लिए 60 मी. से अधिक की संरचना का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	चेनेज आरंभ	चेनेज समाप्त	संरचना	लंबाई (कि.मी. में)
1	04.706	04.813	बड़ा पुल	0.107
2	16.867	17.195	बड़ा पुल	0.270 (एलएचएस-213मी. और आरएचएस-328मी. का औसत)
3	25.006	25.087	बड़ा पुल	0.081
4	30.291	30.372	बड़ा पुल	0.081
5	05.698	06.355	रेल ओवर ब्रिज	0.657
6	48.859	49.328	रेल ओवर ब्रिज	0.469
7	00.379	00.793	फ्लाईओवर	0.414
			कुल	2.079

^{^^} हुसुलदंगा गांव के निकट एनएच-31डी के 77.830 किमी पर शुल्क प्लाजा के लिए 60 मी. से अधिक की संरचना का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	चेनेज आरंभ	चेनेज समाप्त	संरचना	लंबाई (कि.मी. में)
1	52.628	52.708	बड़ा पुल	0.080
2	58.568	59.570	बड़ा पुल	1.002
3	64.593	64.656	बड़ा पुल	0.063
4	68.263	68.343	बड़ा पुल	0.080
5	78.552	78.643	बड़ा पुल	0.091
6	79.925	80.344	बड़ा पुल	0.419
7	63.659	64.085	रेल ओवर ब्रिज	0.426
			कुल	2.161

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00/-रुपए (दो सौ पचहत्तर रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी - 4		
देय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुणा	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार तथा रियायतग्राही के साथ हुए करार के प्रावधान के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।
10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2587.75 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचआई/13013/सीओ/20-21/शुल्क अधिसूचना/पीएफ/घोषपुर-साल्सालाबाडी खंड (किमी 0.000 से किमी 83.785)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2690(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1289(E) dated 20th May, 2009 issued under Section 11 of National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the National Highway 31 D (Starting from National Highway No. 31 near Siliguri and joining National Highway 31C near Salsalabri via Fulbari, Mainaguri, Dhupguri Falakata and Sonapur) in the State of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 79.545 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 42.40 km (having length of 4.240 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Ghoshpukur to Dhupguri Section from design kilometer 0.000 to kilometer 83.785 of NH 31 D in the State of West Bengal and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:-

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At design Km 33.400 of NH-31D near Village Panikauri in Jalpaiguri District of West Bengal	49.441 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At design Km 77.830 of NH-31D near Village Husludanga in Jalpaiguri District of West Bengal.	30.104 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plazas, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At design Chainage Km 33.400 of NH-31D near Village Panikauri in Jalpaiguri District of State West Bengal.	2.079 [^]	20.79	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At design Chainage Km 77.830 of NH-31D near Village Husludanga in Jalpaiguri District of State West Bengal.	2.161 ^{^^}	21.61	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details of structures (>60m) for Fee Plaza at km 33.400 of NH-31D near Panikauri village are as under:

Sl.No	Start Ch.	End Ch.	Structure	Length (in Km)
1	04.706	04.813	Major Bridge	0.107
2	16.867	17.195	Major Bridge	0.270 (Avg. of LHS-213m and RHS-328m)
3	25.006	25.087	Major Bridge	0.081
4	30.291	30.372	Major Bridge	0.081
5	05.698	06.355	Rail Over Bridge	0.657
6	48.859	49.328	Rail Over Bridge	0.469
7	00.379	00.793	Flyover	0.414
Total				2.079

^^The details of structures (>60m) for Fee Plaza at Km 77.830 of NH-31D near Husuldanga village are as under:

Sl.No	Start Ch.	End Ch.	Structure	Length (in Km)
1	52.628	52.708	Major Bridge	0.080
2	58.568	59.570	Major Bridge	1.002
3	64.593	64.656	Major Bridge	0.063
4	68.263	68.343	Major Bridge	0.080
5	78.552	78.643	Major Bridge	0.091
6	79.925	80.344	Major Bridge	0.419
7	63.659	64.085	Rail Over Bridge	0.426
Total				2.161

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 275.000 (Two Hundred and Seventy Five Only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 2587.75 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/20-21/Fee Notification/PF/Ghoshpukur-Salsalabari Section (Km. 0.000 to Km. 83.785)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.